फर्द अहकाम

धासीलाल बनाम कैलाश

...ालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

...द/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : प्रार्थना पत्र 147 / 2024

...दिनांक आज्ञा ...या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
...08.2024	...ह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 ...ाजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है जो ...र्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री गिरिराज प्रजापत ने उपस्थित ...ोकर बताया कि अप्रार्थीगणों को यदि अविलम्ब व्यादेश से ...ाबन्द नहीं किया गया तो इस प्रार्थना पत्र का उद्देश्य विफल ...ो जाएगा अतः अप्रार्थीगणों को बिना आवेदन की सूचना दिए ...एक पक्षीय सुनवायी का व्यादेश जारी किया जावे। वकील प्रार्थी ...की एक पक्षीय बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों ...का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला अर्जेन्ट प्रकृति का ...प्रतीत होता है अतः बिना गुणावगुण पर विचार किये न्यायहित ...में अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद ...किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नं. 85 रकबा ...8.6492 हैक्ट. स्थित ग्राम किशनपुरा प.ह. गढ भू.अ.नि. तूंगा तह. ...तूंगा जिला जयपुर में आगामी तारीख पेशी दिनांक 03.09.2024 ...तक मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं काश्त के ...अतिरिक्त अन्य कार्य नही करें। इस आदेश की प्रति के साथ ...इस प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र की प्रति एवं वादपत्र की प्रति एवं ...सभी दस्तावेजों की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक पत्र के ...अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी हो। इस आशय का प्रार्थी आज ही ...शपथ पत्र पेश करे। पत्रावली पुनः दिनांक 03.09.2024 को पेश ...हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर	
03/09/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता एवं प्रार्थी धासीलाल स्वयं उपस्थित। प्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा को विड्रो किये जाने हेतु पेश किया एवं प्रार्थी ने आदेशिका पर हस्ताक्षर किये जिनकी पहचान प्रार्थी के अधिवक्ता श्री गिरीराज	(हस्ताक्षर) Id. by (हस्ताक्षर) 3/9/24

फर्द अहकाम

घासीलाल बनाम कैलाश।

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 147/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		प्रजापत ने की। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को विड्रो करने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी को प्रा. पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा, प्रार्थना को विड्रो किये जाने पर सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर सुनने के उपरान्त हम पाते हैं कि पक्षकारो के मध्य आपस मे राजीनामा हो गया है इसलिए प्रार्थना पत्र को आगे जारी नही रखना चाहते है अतः न्यायहित मे प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा को विड्रो करने का स्वीकार किया जाकर प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को विड्रो करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रा. पत्र बाबत विड्रो स्वीकार होने से विड्रो की अनुमति दिये जाने से प्रार्थी का प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature]